

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

का0आ0सं0- भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024.....78

पटना, दिनांक- 8/8/25

'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित अराजपत्रित कर्मियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास आदेय किराया एवं अनुमान्य करो के भुगतान की शर्त पर आवास अधिग्रहण की तिथि से आवंटित किया जाता है :-

क्र०	Reg. No.	नाम/पदनाम/	विभाग	आवंटित आवास
1.	BN7725	श्री रमन कुमार, क्रम पत्र वितरक	बिहार विधान सभा	A2/216 गर्दनीबाग
2.	NG15368	श्री सतीश कुमार, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	A3/407 गर्दनीबाग
3.	NG14886	श्री राजेन्द्र पोद्दार, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	A3/408 गर्दनीबाग
4.	BN7726	श्रीमती रितिका, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	A4/201 गर्दनीबाग
5.	BN7748	श्री प्रमोद कुमार राय, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	A4/304 गर्दनीबाग
6.	BN6534	श्री सौरभ कुमार, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान परिषद्	A4/306 गर्दनीबाग
7.	BN4958	श्री सन्नी राज, कार्यालय परिचारी	भवन निर्माण विभाग	A4/402 गर्दनीबाग
8.	BN5162	श्री गौरव कुमार, सुरक्षा प्रहरी	बिहार विधान परिषद्	A4/404 गर्दनीबाग
9.	NG11388	श्री निरंजन कुमार दास, कार्यालय परिचारी	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	A4/405 गर्दनीबाग
10.	NG15109	श्रीमती अनुष्का राज, कार्यालय परिचारी	मुख्यालय निरूपण अंचल, पथ निर्माण विभाग	A4/406 गर्दनीबाग
11.	NG15476	श्री अमरजीत कुमार, फर्राश्	बिहार विधान परिषद्	A4/412 गर्दनीबाग
12.	BN7750	श्री पिकु कुमार, आशुलिपिक	मुख्यमंत्री सचिवालय	A6/101 गर्दनीबाग
13.	-	श्रीमती सिम्मी शिल्पी, निम्नवर्गीय लिपिक	बिहार विधान सभा	A6/206 गर्दनीबाग
14.	BN7937	श्री मनोरंजन कुमार झा, निम्नवर्गीय लिपिक	लघु जल संसाधन विभाग	A6/208 गर्दनीबाग
15.	BN7447	श्रीमती अमृता रंजन, निम्नवर्गीय लिपिक	सूचना एवं जन संपर्क विभाग	A6/305 गर्दनीबाग
16.	NG15694	श्री विजय कुमार, अशुलिपिक	निवार्चन विभाग	A6/307 गर्दनीबाग
17.	BN7619	श्री अमित कुमार शर्मा, निम्नवर्गीय लिपिक	मुख्यमंत्री सचिवालय	A7/203 गर्दनीबाग
18.	-	श्री अंकित स्वर्णकार, आशुलिपिक,	मंत्रिमंडल सचिवालय सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्य सचिव कोषांग	A7/205 गर्दनीबाग

19.	NG15769	सुश्री आरती कुमारी, आशुलिपिक	भवन निर्माण विभाग	A7/211 गर्दनीबाग
20.	BN7662	श्रीमती अंजली कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	वित्त विभाग	A7/212 गर्दनीबाग
21.	NG12463	श्रीमती रजनी खातून, आशुलिपिक	वित्त विभाग	A7/213 गर्दनीबाग
22.	BN5278	कुमारी गोल्डी, निम्नवर्गीय लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	A7/214 गर्दनीबाग
23.	BN8000	सुश्री प्रीति कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	A7/215 गर्दनीबाग
24.	NG15312	सुश्री नेहा कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	स्वास्थ्य विभाग	A7/301 गर्दनीबाग
25.	BN2299	श्री ब्रजेश पटेल, पुलिस अवर निरीक्षक	विशेष सुरक्षा दल	A7/302 गर्दनीबाग
26.	BN7657	श्री रविरंजन कुमार, आशुलिपिक	वाणिज्य-कर विभाग	A7/309 गर्दनीबाग
27.	BN7760	श्री प्रिंस कुमार, आशुलिपिक	राजस्व पर्षद	A7/310 गर्दनीबाग
28.	BN8017	श्री अनुप कुमार सिन्हा, निम्नवर्गीय लिपिक	खेल विभाग	A6/301 गर्दनीबाग
29.	BN6796	श्री केदार सहनी, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान परिषद्	नवनिर्मित आवास, आर0ब्लॉक, रोड नं0-2
30.	-	श्री अभिजीत राज, कार्यालय परिचारी	बिहार विधान सभा	224/400, राजवंशीनगर
31.	-	श्री रंजीत राज, चालक	विधि विभाग	427/800, शास्त्रीनगर
32.	BN747	श्री संजीत कुमार यादव, चालक	सूचना प्रावैधिकी विभाग	177/800, शास्त्रीनगर
33.	BN8096	श्रीमती सरिता राय, निम्नवर्गीय लिपिक	मंत्रिमंडल सचिवालय	24/400, राजवंशीनगर
34.	NG1103	श्री विश्वजीत कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक	विधि विभाग	182/800, शास्त्रीनगर
35.	NG15694	श्रीमती सुप्रिता कुमारी, निम्नवर्गीय लिपिक	परिवहन विभाग	781/800 शास्त्रीनगर
36.	-	श्री सुबोध कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक,	केन्द्रीय पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग	A4/105 गर्दनीबाग

- यदि भविष्य में ज्ञात होता है कि गलत सूचना के आधार पर किसी अपात्र कर्मी को आवास आवंटित हो गया है तो संज्ञान में आते ही सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के तहत उक्त आवास आवंटन को रद्द किया जाएगा तथा ऐसे आवंटी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी कर्मी आदेश निर्गत की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।

उक्त अवधि में आवंटी कर्मचारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

4. नये आवंटी कर्मि कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
5. स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार मानक किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
6. पटना से बाहर स्थानान्तरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
7. विभागीय आदेश सं0-3473, दिनांक-30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंस चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :-

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंस चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	ए-टाईप आवास, गर्दनीबाग	₹275	₹564	₹839

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

8. अगर आवासी का पटना में कोई अपना मकान हो तो आवास आवंटन नियमावली, 1986 के प्रावधान के अनुसार इस संबंध में वे तदनुसार, कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग को आवास अधिग्रहण की स्थिति में सूचित करेंगे।
9. भवन निर्माण विभाग के पूर्व लिखित अनुमति लिए बिना आवासी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी आवास के किसी भी भाग में अनधिकृत रूप से कोई निर्माण कार्य करे ; अथवा आवास का या उसके किसी भाग का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करे जिस प्रयोजन के लिए वह नहीं बना है, तो आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-22 के तहत भवन सचिव आवास का आवंटन रद्द कर सकेंगे तथा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
10. आवास परिवर्तन हेतु कोई भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. निजी कारणों से यदि आवंटी द्वारा आदेश निर्गत होने के 30 दिनों के अन्दर आवंटित आवास का प्रभार नहीं लिया जाता है तो आवास आवंटन नियमावली-1986 के नियम-10 तथा भवन निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-1292(भ), दिनांक 01.03.1997 के नियम-6

(ख) के तहत एक वर्ष तक उन्हें कोई दूसरा आवास आवंटित नहीं किया जायेगा और उक्त आवास दूसरे पात्र पदाधिकारियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

12. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
13. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

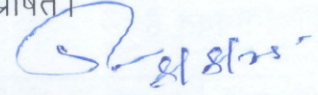
ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-09-02(अराजपत्रित)-01/2024-7434/पटना, दिनांक:- 8/8/25

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी कर्मचारी/मुख्य अभियंता(पटना)/ कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल दानापुर, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/निदेशक (तकनीकी), एन.आई.सी./आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।